निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1941 (श0)
(सं0 पटना 933) पटना, बृहस्पतिवार, 8 अगस्त 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना

8 अगस्त 2019

सं0 02/विविध 09/2019–6283/परि0— मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1183 (अ), दिनांक 29.12.2016 के नियम–32 एवं 81 के **परन्तुक** में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा–212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या–5834, दिनांक 24.07.2019 द्वारा किया जा चुका है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ** ।– (1) बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 ।

(2) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

(3) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–14 में उपनियम–3, नियम–6 में एक उपनियम–10, नियम–44 में एक उपनियम–11 एवं नियम–54 में एक उपनियम–5 निम्न रुप से अंतःस्थापित किया जाता है :–

"14 (3) चालक अनुज्ञप्ति को संबंधित वाहन चालक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से विभाग द्वारा भेजा जायेगा, जिसके साथ नियम–6 अन्तर्गत विहित शुल्क देय होगा, परन्तु यदि संबंधित वाहन चालक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा गया चालक अनुज्ञप्ति यदि पता अधूरा रहने या पता सही नहीं रहने या अन्य किसी भी कारण के आधार पर विभाग में वापस आता है तो पता सही नहीं रहने पर चालक अनुज्ञप्ति में पता परिवर्तन कराना होगा एवं पता में परिवर्तन हेतु निर्धारित फीस एवं इस हेतु नियम–6 में विहित फीस पुनः देय होगी।"

"6 (10) नियम–14 के उपनियम–3 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक से वितरण हेतु प्रत्येक चालक अनुज्ञप्ति (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक खर्च हेतु ₹ 50/– (पचास रुपये) ।"

"54 (5) निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) को संबंधित वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से विभाग द्वारा भेजा जायेगा। जिसके साथ नियम–44 के उपनियम–(11) के अन्तर्गत विहित शुल्क देय होगा, परन्तु यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा गया निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) यदि पता अधूरा रहने या पता सही नहीं रहने या अन्य किसी भी कारण के आधार पर

विभाग में वापस आता है, तो पता सही नहीं रहने पर निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) में पता परिवर्तन कराना होगा एवं पता में परिवर्तन हेतु निर्धारित फीस एवं इस हेतु नियम–44 के उपनियम–(11) में विहित फीस पुनः देय होगी।"

"44 (11) नियम–54 के उपनियम–5 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक से वितरण हेतु प्रत्येक निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक खर्च हेतु– 50/– रुपये (पचास रुपये) ।

यह शुल्क चालक अनुज्ञप्ति/निबंधन प्रमाण–पत्र की द्वितीयक प्रति, नवीकृत चालक अनुज्ञप्ति एवं अन्य वैसे सभी मामले जिसमें नये सिरे से स्मार्ट कार्ड निर्गत किया जाना हो, पर भी लागू होगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 8th August 2019

No. 02/विविध 09/2019–6283/परि० — In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in The Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 the Prior publication of which required under section-212 of the Act has been done through Notification No.- 5834, dated-24.07.2019

1. ***Short name, extension & commencement.***— (1) Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rule, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Bihar Gazette.

(3) It shall extend to the whole of State of Bihar.

2. One subrule-5 in rule-54, one subrule 11 in rule 44, one subrule-10 in rule-6 and one subrule-3 in rule-14 of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 is inserted in following way :-

"14 (3) Driving License shall be sent on the address provided by the concerned driver, through registered post/speed post, Fee shall be payeble for this under rule-6, but if the driving license sent through registered post/speed post returns back to the department owing to incomplete address or incorrect address or due to any other reason, then address specified in DL shall have to be changed and fee for change in address and the fee specified in rule-6 for this, shall be charged."

"6 (10) For the delivery through post, for every driving license (with smart card), 50 rupees postal cost as specified in subrule-3 of rule-14."

"54 (5) Registration Certificate shall be delivered at the address provided by the owner of the vehicle, through registered post/ speed post fee specified under rule-44 shall be payable with this, but if the Registration Certificate send through registered post/speed post returns back to the department owing to incomplete address or incorrect address or due to any other reason, then address specified in Registration Certificate shall have to be changed and fee for change in address and the fee specified in rule-44 (11) for this, shall be charged."

"**44** (11) For the delivery through post, for every registration certificate (with smart card), 50 rupees as postal cost as specified in subrule-5 of rule-54.

This fee shall be charged on the delivery of duplicate copy of driving license/registration certificate, renewed driving license and in all such cases in which new smart card has to be issued."

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 933-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–02/विविध–09/2019, परि0................ दिनांक–........................

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1183 (अ), दिनांक–29.12.2016 के नियम–32 एवं 81 के **परन्तुक** में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा–212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या– 5834, दिनांक–24.07.2019 द्वारा किया जा चुका है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ**– (1) बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 ।
(2) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
(3) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–14 में उपनियम–3, नियम–6 में एक उपनियम–10, नियम–44 में एक उपनियम–11 एवं नियम–54 में एक उपनियम–5 निम्न रुप से अंतःस्थापित किया जाता है :–

"**14 (3)** चालक अनुज्ञप्ति को संबंधित वाहन चालक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से विभाग द्वारा भेजा जायेगा, जिसके साथ नियम–6 अन्तर्गत विहित शुल्क देय होगा, परन्तु यदि संबंधित वाहन चालक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा गया चालक अनुज्ञप्ति यदि पता अधूरा रहने या पता सही नहीं रहने या अन्य किसी भी कारण के आधार पर विभाग में वापस आता है तो पता सही नहीं रहने पर चालक अनुज्ञप्ति में पता परिवर्तन कराना होगा एवं पता में परिवर्तन हेतु निर्धारित फीस एवं इस हेतु नियम–6 में विहित फीस पुनः देय होगी।"

"**6 (10)** नियम–14 के उपनियम–3 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक से वितरण हेतु प्रत्येक चालक अनुज्ञप्ति (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक खर्च हेतु ₹ 50/– (पचास रुपये) ।"

"**54 (5)** निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) को संबंधित वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से विभाग द्वारा भेजा जायेगा। जिसके साथ नियम–44 के उपनियम–(11) के अन्तर्गत विहित शुल्क देय होगा, परन्तु यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा गया निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) यदि पता अधूरा रहने या पता सही नहीं रहने या अन्य किसी भी कारण के आधार पर विभाग में वापस आता है, तो पता सही नहीं रहने पर निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) में पता परिवर्तन कराना होगा एवं पता में परिवर्तन हेतु निर्धारित फीस एवं इस हेतु नियम–44 के उपनियम–(11) में विहित फीस पुनः देय होगी।"

"**44 (11)** नियम–54 के उपनियम–5 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक से वितरण हेतु प्रत्येक निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक खर्च हेतु– 50/– रुपये (पचास रुपये) ।

यह शुल्क चालक अनुज्ञप्ति/निबंधन प्रमाण–पत्र की द्वितीयक प्रति, नवीकृत चालक अनुज्ञप्ति एवं अन्य वैसे सभी मामले जिसमें नये सिरे से स्मार्ट कार्ड निर्गत किया जाना हो, पर भी लागू होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

संजय कुमार अग्रवाल,

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02/विविध–09/2019, परि0.............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02/विविध--09/2019, परि0 6283, पटना, दिनांक– 9/8/19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी–सह–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/8

सरकार के सचिव

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–02/विविध–09/2019, परि0.. .... दिनांक–........................

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1183 (अ), दिनांक–29.12.2016 के नियम–32 एवं 81 के परन्तुक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा–212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या– 5834, दिनांक–24.07.2019 द्वारा किया जा चुका है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ** ।– (1) बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 ।
(2) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
(3) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–14 में उपनियम–3, नियम–6 में एक उपनियम–10, नियम–44 में एक उपनियम–11 एवं नियम–54 में एक उपनियम–5 निम्न रुप से अंतःस्थापित किया जाता है :–

"14 (3) चालक अनुज्ञप्ति को संबंधित वाहन चालक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से विभाग द्वारा भेजा जायेगा, जिसके साथ नियम–6 अन्तर्गत विहित शुल्क देय होगा, परन्तु यदि संबंधित वाहन चालक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा गया चालक अनुज्ञप्ति यदि पता अधूरा रहने या पता सही नहीं रहने या अन्य किसी भी कारण के आधार पर विभाग में वापस आता है तो पता सही नहीं रहने पर चालक अनुज्ञप्ति में पता परिवर्तन कराना होगा एवं पता में परिवर्तन हेतु निर्धारित फीस एवं इस हेतु नियम–6 में विहित फीस पुनः देय होगी।"

"6 (10) नियम–14 के उपनियम–3 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक से वितरण हेतु प्रत्येक चालक अनुज्ञप्ति (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक खर्च हेतु ₹ 50/– (पचास रुपये) ।"

"54 (5) निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) को संबंधित वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से विभाग द्वारा भेजा जायेगा। जिसके साथ नियम–44 के उपनियम–(11) के अन्तर्गत विहित शुल्क देय होगा, परन्तु यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा गया निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) यदि पता अधूरा रहने या पता सही नहीं रहने या अन्य किसी भी कारण के आधार पर विभाग में वापस आता है, तो पता सही नहीं रहने पर निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) में पता परिवर्तन कराना होगा एवं पता में परिवर्तन हेतु निर्धारित फीस एवं इस हेतु नियम–44 के उपनियम–(11) में विहित फीस पुनः देय होगी।"

"44 (11) नियम–54 के उपनियम–5 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक से वितरण हेतु प्रत्येक निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक खर्च हेतु– 50/– रुपये (पचास रुपये) ।

यह शुल्क चालक अनुज्ञप्ति/निबंधन प्रमाण–पत्र की द्वितीयक प्रति, नवीकृत चालक अनुज्ञप्ति एवं अन्य वैसे सभी मामले जिसमें नये सिरे से स्मार्ट कार्ड निर्गत किया जाना हो, पर भी लागू होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02/विविध–09/2019, परि0............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02/विविध–09/2019, परि0............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी–सह–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02/विविध–09/2019, परि0............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02/विविध–09/2019, परि0......6283, पटना, दिनांक– 8/8/19

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/8

सरकार के सचिव

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–02/विविध–09/2019, परि0................ दिनांक–.......................

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1183 (अ), दिनांक–29.12.2016 के नियम–32 एवं 81 के **परन्तुक** में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा–212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या– 5834, दिनांक–24.07.2019 द्वारा किया जा चुका है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ** ।– (1) बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 ।
(2) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
(3) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–14 में उपनियम–3, नियम–6 में एक उपनियम–10, नियम–44 में एक उपनियम–11 एवं नियम–54 में एक उपनियम–5 निम्न रुप से अंतःस्थापित किया जाता है :–

"**14 (3)** चालक अनुज्ञप्ति को संबंधित वाहन चालक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से विभाग द्वारा भेजा जायेगा, जिसके साथ नियम–6 अन्तर्गत विहित शुल्क देय होगा, परन्तु यदि संबंधित वाहन चालक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा गया चालक अनुज्ञप्ति यदि पता अधूरा रहने या पता सही नहीं रहने या अन्य किसी भी कारण के आधार पर विभाग में वापस आता है तो पता सही नहीं रहने पर चालक अनुज्ञप्ति में पता परिवर्तन कराना होगा एवं पता में परिवर्तन हेतु निर्धारित फीस एवं इस हेतु नियम–6 में विहित फीस पुनः देय होगी।"

"**6 (10)** नियम–14 के उपनियम–3 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक से वितरण हेतु प्रत्येक चालक अनुज्ञप्ति (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक खर्च हेतु **₹** 50/– (पचास रुपये) ।"

"**54 (5)** निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) को संबंधित वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से विभाग द्वारा भेजा जायेगा। जिसके साथ नियम–44 के उपनियम–(11) के अन्तर्गत विहित शुल्क देय होगा, परन्तु यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा गया निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) यदि पता अधूरा रहने या पता सही नहीं रहने या अन्य किसी भी कारण के आधार पर विभाग में वापस आता है, तो पता सही नहीं रहने पर निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) में पता परिवर्तन कराना होगा एवं पता में परिवर्तन हेतु निर्धारित फीस एवं इस हेतु नियम–44 के उपनियम–(11) में विहित फीस पुनः देय होगी।"

"**44 (11)** नियम–54 के उपनियम–5 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक से वितरण हेतु प्रत्येक निबंधन प्रमाण–पत्र (RC) (स्मार्ट कार्ड सहित) के डाक खर्च हेतु– 50/– रुपये (पचास रुपये) ।

यह शुल्क चालक अनुज्ञप्ति/निबंधन प्रमाण–पत्र की द्वितीयक प्रति, नवीकृत चालक अनुज्ञप्ति एवं अन्य वैसे सभी मामले जिसमें नये सिरे से स्मार्ट कार्ड निर्गत किया जाना हो, पर भी लागू होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से।
ह0/–
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

पटना, दिनांक–
ज्ञापांक– 02/विविध–09/2019, परि0............,

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

पटना, दिनांक–
ज्ञापांक– 02/विविध–09/2019, परि0............,

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी–सह–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

पटना, दिनांक–
ज्ञापांक– 02/विविध–09/2019, परि0............,

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

पटना, दिनांक–
ज्ञापांक– 02/विविध–09/2019, परि0............,

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

पटना, दिनांक– 8/8/19
ज्ञापांक– 02/विविध–09/2019, परि0 6283,

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/8
सरकार के सचिव